कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें म.प्र.

विन्ध्याचल भवन, भोपाल – 462004

(ई-मेल:-rcs.audit@mp.gov.in, दूरभाष नम्बर 0755-2551098)

क्रमांक/अंके./2/2021/985 भोपाल, दिनांक 18·10·2021

आदेश

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 एवं उसके अधीन विरचित नियम 50 सहपठित धारा 56 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं नरेश पाल कुमार, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाये, म.प्र. **''बैंक/अन्य संस्थाओं/शासकीय प्रतिभूति आदि में किये गये निवेश/जमा/अंशपूंजी के अंतिम शेष के रिकन्सीलेशन नहीं कराये जाने से सहकरी संस्थाओं में वित्तीय अनियमितताओं के प्रकरणों में हो रही वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक मास में रिकन्सीलेशन कराने एवं उसका प्रमाणन रोकड़ पुस्तिका में दर्ज करने की निम्नानुसार व्यवस्था निर्दिष्ट की जाती है''** :-

1. जिन अधिकारियों के पदनाम से बैंक/अन्य संस्थाओं में खाते खोले गये हैं अथवा खातों का संचालन किया जा रहा है, वे इन/अन्य संस्थाओं के स्टेटमेंट में दर्ज शेष राशि का मिलान मासिक रूप से रोकड़ पुस्तिका में दर्ज शेष राशि की प्रविष्टि से करें एवं रोकड़ पुस्तिका में निम्नानुसार प्रमाण-पत्र अंकित करें :-

   ''प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक .... को बैंक/अन्य संस्थाओं में खाता कमांक...................... मे दर्ज शेष राशि का रोकड़ पुस्तक में दर्ज शेष राशि से मिलान किया गया। इस मिलान में राशि रूपये .... का अंतर पाया गया''

2. लेखांकन हेतु उत्तरदायी अधिकारी का यह दायित्व होगा कि बैंक/संस्था द्वारा दिये गये ब्याज अथवा अन्य आय/व्यय संबंधित जानकारी को रोकड़ पुस्तिका में समय-समय पर दर्ज कराये ताकि प्रमाणन दर्ज करते समय रोकड़ पुस्तिका का शेष एवं बैंक/संस्था का शेष एक समान हो सके।

उपरोक्त व्यवस्था दिनांक 01.11.2021 से प्रभावशील होगी।

(नरेश पाल कुमार)
आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थायें, म.प्र.

LETTER-02 update

Scanned by TapScanner

क्रमांक/अंके./2/2021/ 985 भोपाल,दिनांक 18.10.2021

प्रतिलिपिः–

1. समस्त सहकारी संस्थायें, म.प्र.
2. समस्त अपर/संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त/सहायक आयुक्त सहकारिता उपरोक्तानुसार आदेश का पालन सुनिश्चित करावें।
3. उपरोक्त आदेश की प्रति समस्त कार्यपालिक कर्मचारियों को भी उपलब्ध करायी जावे तथा आदेश के पालन के संबंध में संपरीक्षा प्रतिवेदन में अनिवार्यतः टीप अंकित करने के निर्देश दिये जावे।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश

Scanned by TapScanner